COLLEGE OF AGRICULTURE, FATEHPUR-SHEKHAWATI

SIKAR-332301, RAJASTHAN

(Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner)

कृषिमहाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर–332301,राजस्थान

(श्री कर्णनरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर)

Dr. Harphool Singh
DEAN

+91-9461930049

dean.coafatehpur@sknau.ac.in

कंमाक एफः (41)/भंडार /कृ.महा./एफटीआर/2026/4371 दिनांकः 30.07.2026

ई–निविदा सूचना

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–निविदा आंमत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्म/कम्पनी/सोसायटी जिन्हे सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, ई–निविदा भर सकते हैं। कार्य की अनुमानित लागत रूपये 20.00 लाख (बीस लाख) है। निविदा प्रपत्र को वेबसाईट से http://eproc.rajasthan.gov से डाउनलोड किया जा सकता है। sppp.rajasthan.gov.in and www.sknau.ac.in देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 1000 RISL प्रोसेसिंग फीस राशि 500/– व बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रूपये 40,000/ के अलग–अलग डी. डी. दिनांक 12.08.2026 समय प्रातः 11.00 बजे तक अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है। यह निविदा sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दी गई है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भिजवा कर निवेदन है कि ई–निविदा खोलने की निर्धारित तिथी दिनांक 12.08.2026 को स्वमं या अपने कार्यालय से नामित सदस्य भेजने की कृपा करावें।
2. प्रभारी, सिमका, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि इस ई–निविदा को http://eproc.rajasthan.gov, sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाना सुनिश्चित कराएँ।
3. संयोजक/सदस्य, निविदा समिति/कैशियर/प्रक्षेत्र प्रभारी/ आहरण एवं वितरण अधिकारी/लेखा शाखा कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी ।
4. नोटिस बोर्ड, कृषि अनुसंधान केन्द्र/कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी/ कृषि विज्ञान केंद्र, फतेहपुर–शेखावाटी/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।

अधिष्ठाता

तकनीकी बोली प्रपत्र

(बोली इसी प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है)

क्र.स.	विवरण	संलग्न (हॉ / ना)	पृष्ठ संख्या
1.	बोलीदाता / फर्म / संस्था का नाम.. .... पता.. .... (मय टेलिफोन / मोबाइल न. ई मेल)		
2.	बोली प्रपत्र शुल्क डी.डी संख्या.. व दिनांक **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** के पक्ष में (मूल महाविद्यालय में जमा करावें)।		
3.	बिड सिक्योरिटी डी.डी संख्या.. व दिनांक.. **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** के पक्ष मे (मूल **महाविद्यालय** में जमा करावें)।		
4.	RISL Processing शुल्क डी.डी MD, RISL के नाम 500 / – डी.डी (मूल महाविद्यालय में जमा करावें)।		
5.	बोलीदाता / फर्म का पेन नम्बर (स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न /अपलोड करें)		
6.	बोलीदाता / फर्म का जीएसटी नम्बर (स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न /अपलोड करें)		
7.	जी.एस.टी. जमा कराये जाने का गत नवीनतम क्वार्टर का अद्यतन (स्वप्रमाणित प्रमाण संलग्न /अपलोड करें)		
8.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न /अपलोड करें।.		
9.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न /अपलोड करें।		

10.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र या वचन पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न/ अपलोड करें।		
11.	माह फरवरी, 2026 या मार्च, 2026 या अप्रैल, 2026 में भविष्य निधि व ई.एस.आई में राशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र स्वप्रमाणित कर संलग्न /अपलोड करें।		
12.	हस्ताक्षरित तकनीकी बोली प्रपत्र अपलोड करें।		
13.	बोली की शर्त एवं विवरण तथा बोली की विशिष्ट शर्तों की सहमति स्वरूप उसे हस्ताक्षरित कर तकनीकी बिड के साथ प्रस्तुत करें। हस्ताक्षरित संलग्न /अपलोड करें।		
14.	बोली स्वीकृति पत्र हस्ताक्षरित कर संलग्न / अपलोड करें।		
15.	बैंक विवरण, जिसके प्रमाण स्वरूप कैंसिल चौक भी लगायें। संलग्न /अपलोड करें।		
16.	संलग्न प्रारूप में गत 03 वित्तीय वर्षों (2023–24, 2024–25, 2025–26) का औसत टर्न ओवर न्यूनतम 20.00 लाख रू. से कम नहीं होना चाहिए (पंजीकृत सीए द्वारा प्रमाणित प्रति) संलग्न / अपलोड करें।		
17.	बोलीदाता को न्यूनतम 2 वर्षो का समान प्रकृति की मानव संसाधन सेवाएं उच्च शिक्षण संस्थानों / सरकारी कार्यालयों /स्वायत्तशाषी संस्थाओं/बोर्डों /निगमों में उपलब्ध कराने का संलग्न प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र मय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इनकी सतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न /अपलोड करें।		
18.	बोलीदाता/फम/संस्था द्वारा 100/– रूपये के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बोलीदाता/फर्म/संस्था के किसी राजकीय विभाग द्वारा गत तीन वर्षों में Black Listed/debarred /banned/ restricted नहीं किये जाने का शपथ पत्र अनुसार दिया जाना आवश्यक होगा। (दिनांक सहित नोटेराईज) संलग्न /अपलोड करें।		
19.	भविष्य निधि आयुक्त के 7A नोटिस में किसी भी विवाद में न होने का बोलीदाता/फर्म /संस्था का शपथ पत्र (दिनांक सहित) संलग्न/अपलोड करें।		
20.	राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 एवं नियम–13 के अनुसार Annexure A, B, C, D & Declaration under section 7 of RTPP Act–12 संलग्न / अपलोड करें।		

21.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र या वचन पत्र (Under taking) निर्धारित प्रारूप में संलग्न / अपलोड करें।		
22.	बोलीदाता राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 की section 7 और 11 के तहत घोषणा संलग्न /अपलोड करें।		
23.	SSI/MSME/ उद्योग आधार पंजीयन, प्रमाण पत्र (प्रति संलग्न करें) (If Applicable) संलग्न /अपलोड करें।		
24.	ऑथोराइजेशन पत्र (If Applicable) संलग्न / अपलोड करें।		

तकनीकी बोली में सफल होने के लिए उपरोक्त सभी प्रविष्ठियां मय प्रमाणक एवं बिड दस्तावेज में चाहे गये अन्य दस्तावेज होना आवश्यक है अन्यथा बोली निरस्त मानी जायेगी।

घोषणा

मैं.. पुत्र श्री ....

सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त अंकित विवरण एवं संलग्न सभी विवरण सत्य है तथा मुझे बोली प्रपत्र की सभी शर्त स्वीकार है। इसके प्रमाण स्वरूप मेरे द्वारा बोली के समस्त पृष्ठों पर मेरे द्वारा हस्ताक्षर /Digital Sign कर दिये गये है।

नाम...

(बोलीदाता)

स्थानः

दिनांकः

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–निविदा सूचना

कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर द्वारा कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेत सभी श्रेणी के श्रमिक की आपूर्ति की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी पंजीकृत सेवा प्रदात्ता संस्थाओं/फर्मों से ई–निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती हैः–

निविदा क्रमांक :	क्रंमाक एफः(41)/भंडार /कृ.महा./एफटीआर/2026/437 दिनांकः 30.07.2026
विवरण	कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेत सभी श्रेणी के श्रमिक की आपूर्ति
ई–निविदा बेचने की तिथि व समय	30.07.2026 प्रातः 10:00 बजे से
प्रि–बिड दिनांक, समय व स्थानः	04.08.2026 प्रातः 11:00 बजे स्थान **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर**
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	12.08.2026 प्रातः 11:00 बजे तक
ई–निविदा प्रपत्रखोलने की तिथि एवं समय	12.08.2026 दोपहर : 02:00 बजे
अनुमानित राशि	**रूपये 20.00 लाख (बीस लाख)**
निविदा प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) :	**1000 RISL प्रोसेसिंग फीस राशि 500/–** निविदा प्रपत्र शुल्क एवं **बोली प्रतिभूति राशि (bid security) रूपये 40,000/– अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर**
RISL प्रोसेसिंग शुल्क :	500/– रू. (प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में देय) (MDRISL, JAIPUR)

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के डी.डी. उपर्युक्त नाम से **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** के कार्यालय में दिनांक 12.08.2026 प्रातः 11:00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होगें ।

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्णनरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर)

फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर–332301,राजस्थान

कार्य की अनुमानित लागत – रू० **20.00 लाख (बीस लाख)**

बोली प्रतिभूति (Bid Security)– 2 प्रतिशत

प्रपत्र "**अ**" तकनीकी बिड ऑन लाईन ई–निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 12.08.2026 समय प्रातः 11.00 बजे तक ई–निविदा प्रपत्र शुल्क रु० 1000

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–निविदा सूचना

1. ई–निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, ...
2. डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित.. ....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर.. ....
4. किसको संबोधित किया गया **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर**
5. ई–निविदा सूचना संदर्भ : **कंमाक एफः (41)/भंडार /कृ.महा./एफटीआर/2026/** 4371 दिनांक 30.7.2026 ....
6. ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि 1000 एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रू. 40,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या कमशः ....दिनांक...................................... **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** के पक्ष में देय एवं आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि 500/– रू० डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक प्रबन्ध निदेशक, आर.आई.एस.एल. जयपुर के पक्ष में देय, **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** में भौतिक रूप से जमा करा दी है।
7. हम **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** द्वारा जारी की गई ई–निविदा सूचना संख्या ....दिनांक ....में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई–निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
8. ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र "र" में दर्शाये गये कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित है।
9. सभी कार्यो के लिए संस्थान की विभिन्न इकाईयों की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग के 24 घंटे की अवधि में कर दी जाएगी। संस्थान द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

10. कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति हेतु प्रपत्र "**र**" में दी गई दरें एक वर्ष के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए प्रचलित दरों पर बढ़ाया जा सकता है।

11. ई–निविदा सूचना में अंकित निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति (Bid Security) एवं प्रोसेसिंग फीस का डीडी/बी.सी. के भौतिक रूप (Physically) से **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** के कार्यालय में प्रस्तुत करना है। ई–निविदा दिनांक 12.08.2026 प्रातः 11:00 बजे तक तकनीकी निविदा विश्वविद्यालय की वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov पर आवश्यक रूप से Upload की जानी है।

12. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र "**ब**") संलग्न है।

13. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का स्वघोषणा प्रमाण पत्र (प्रपत्र "**स**") संलग्न है।

14. ई–निविदा प्रपत्र के साथ कर्मचारी भविष्य निधी, कर्मचारी राज्य बीमा पंजीकरण प्रमाण पत्र एवंजी. एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र जो तकनीकी बिड खोलने की तिथि को वैध हो। (प्रपत्र "**य**" सलग्न)

15. निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) के डी.डी. की स्केन प्रति आवश्यक रूप से ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर अपलोड की गई है इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्णनरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)

फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर–332301,राजस्थान

कमांक एफः (41)/भंडार /कृ.महा./एफटीआर/2026/ 4371 दिनांकः 30.07.2026

तकनीकी निविदा प्रपत्र "अ"

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–निविदा

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति की ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। ऐसी सेवा प्रदाता संस्थाओं / फर्म /कम्पनी / सोसायटी जिन्हें सेवाप्रदाता के रूप में कार्य करवाने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट "http://eproc-rajasthan.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं इसे वेबसाईट www.sknau.ac.in & sppp.raj.nic.in पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट पर http://eproc.rajasthan.gov.in पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि : रु.1000, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि रू0 500.00 व बोली प्रत्याभूति (bid security) के अलग–अलग डी.डी. की स्केन प्रति आवश्यक रूप से अपलोड करने के उपरांत दिनांक 12.08.2026 प्रातः 11:00 बजे **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** में भौतिक रूप से जमा करवाना आवश्यक है।

A. आवेदन के लिए वांछित पात्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फम/कम्पनी / सोसाइटी का प्रति वर्ष का औसत टर्न ऑवर रूपये **20.00 लाख (बीस लाख)** या अधिक हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंश शीट, Profit and Loss A/c] Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।

2. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग राज्य / केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है।

3. फर्म/कम्पनी द्वारा जो कि विगत एक वर्ष में सरकारी विभाग /उपक्रम में श्रमिक आपूर्ति कार्यानुभव अनिवार्य है तथा सक्षम अधिकारी द्वारा संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना वांछित है।

4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय / शाखा का के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।

5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

6. सेवा प्रदाता को कर्मचारी भविष्य निधी एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजनान्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।

7. श्रम विभाग एवं राजस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें लागू होंगी।

8.बोलीदाता एवं संवेदक को अपने डिजिटल हस्ताक्षरों (DSC) के माध्यम से वैबसाईट https://eproc-rajasthan-gov-in पर फम/संस्था आदि को रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक होगा।

9. सभी डीडी व स्टाम्प पेपर तकनीकी बिड के साथ अपलोड करें तथा मूल सभी डी.डी. एवं मूल स्टाप पेपर विश्वविद्यालय में अलग से प्रस्तुत करें अन्यथा बिड अस्वीकार कर दी जावेगी। वित्तीय बोली हेतु ऑनलाइन BOQ sheet में दरों की बोली प्रस्तुत करनी होगी।

10. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई तकनीकी बोली सही होने एवं वित्तीय बोली खोले जाने की सभी अर्हताऐं पूरी करने पर ही प्रस्तुत वित्तीय बोली खोली जावेगी। वित्तीय बोली ऑनलाइन BOQ Sheet पर ही प्रस्तुत करें।

B. आवेदन की विधि तथा बोली प्रतिभूति (Bid Security) जमा कराना

ई–निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रू0 1000 एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) रू. 40,000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक (**अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर**) DEAN, College of agriculture, Fatehpur, Shekhawati, Sikar के पक्ष में देय तथा आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि –1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या दिनांक (प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर) Managing Director, RISL के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** के कार्यालय में जमा करवा दी है। जिनकी Scanned Copy, E-proc साइट पर ऑनलाइन अपलोड करनी आवश्यक है। तथा दिनांक 12.08.2026 दोपहर 02:00 बजे तक मूल सभी डी.डी एवं मूल स्टाप पेपर **महाविद्यालय** में जमा करवाने होगें अन्यथा बिड स्वीकार्य नही होगी।

C- कार्यों का विवरण एवं निविदा की शर्ते

कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित, प्रशासनिक कार्यालय, एकेडमिक ब्लॉक, छात्र–छात्रा के छात्रावास की सफाई हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक आपूर्ति के लिए शर्तेः–

1- **ठेकेदार अथवा ठेकेदार प्रतिनिधि को प्रतिदिन श्रमिकों को उपलब्ध करवाते समय फार्म पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।**

2- अगर ठेकेदार अपना कार्य निश्चित अवधि के बीच में छोडता है व श्रमिकों को भुगतान नही करता है या कार्य संतोषजनक नही करने पर उसको इस कार्यालय द्वारा नियमानुसार इस ठेके से हटाया जा सकता है तो उसके द्वारा बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

3- ठेकेदार द्वारा संस्थान में श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम पर भुगतान नही होगा। यदि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें बढाई जाती है तो ठेकेदार श्रमिकों को राजस्थान सरकार के द्वारा परिवर्तित निर्धारित न्यूनतम दर एवं अन्य के आनुपातिक दर के अनुसार अधिक दर का भुगतान करेगा व इसी परिवर्तित निर्धारित दर के अनुसार **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** के कार्यालय से ठेकेदार को श्रमिकों का भुगतान करना होगा। ठेकेदार अपने समस्त खर्च एवं लाभांश को मध्येनजर रखते हुए निविदा में विभिन्न कैटेगरी के श्रमिकों को उपलब्ध करवाने हेतु अपनी निर्धारित दरें दे।

4- **विश्वविद्यालय द्वारा ठेकेदार के श्रमिक बिलों के भुगतान में अगर किसी कारणवश देरी होती है तो भी श्रमिकों को समय पर भुगतान की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की अपनी होगी। ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक भुगतान करना आवश्यक होगा अन्यथा देरी से भुगतान करने पर रू. 500/– प्रतिदिन के हिसाब से अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर में शासित (पैनेल्टी) की राशि जमा करवानी होगी। ठेके के अधीन कार्यरत श्रमिकों का भुगतानबैंक में ट्रांसफर करना होगा। इस बिन्दु को विशेष रूप से ध्यान में रख कर निविदा भरें।**

5- फार्म पर श्रमिकों की प्रतिदिन कराई गई उपलब्धता की संख्या व फार्म पर लगने वाले श्रमिकों के नाम की सूची फार्म कार्यालय में हस्ताक्षर व फर्म की मोहर लगा कर देनी होगी। नियमानुसार ठेकेदार श्रमिक के तौर पर 18 वर्ष से कम व 55 वर्ष से ज्यादा आयु के व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जा सकता है। अगर फार्म स्टाफ को किसी प्रकार का संदेह किसी भी कार्यरत श्रमिक की उम्र इत्यादि पर होता है तो उस श्रमिक की पहचान ठेकेदार को बतानी होगी।

6- श्रमिक सभ्य, सुशील एवं विनम्र हो, केन्द्र, प्रक्षेत्र पर मदिरा एवं अन्य किसी भी नशीले पदार्थों का उपयोग नहीं करेगें और ना ही किसी अन्य को उपयोग करने देगें एवं सेवन करते हुए पाये जाने पर केन्द्र द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

7- श्रमिकों को प्रत्येक माह के भुगतान की लिखित सूचना हस्ताक्षर सहित **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** देनी होगी। उसके पश्चात् ही आगामी माह के बिल का भुगतान देय होगा।

8- ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये श्रमिक द्वारा संस्था में किसी भी प्रकार की हानि पहुँचाता है तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा, नुकसान की वसूली का पूर्ण अधिकार **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** को ठेकेदार से होगा।

9- सिंचाई हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में कार्य हेतु पुरूष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे।

10- सिंचाई हेतु ठेकेदार को दिन व रात्रि में कार्य हेतु पुरूष श्रमिक मांग के अनुसार उपलब्ध करवाने होंगे अन्यथा बिन्दु संख्या 3 में अंकित निर्धारित शासित (पैनेल्टी) देनी होगी।

11- ठेकेदार को यथासंभव एक दिन पहले, दूसरे दिन की कुल श्रमिकों की केन्द्र पर कार्य हेतु मांग के अनुसार उपलब्धता हेतु सायं 4.30 बजे तक प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा सूचित कर दिया जावेगा। किसी प्राकृतिक कारणों से या आकस्मिक अवकाश घोषित होने पर अगर कुल उपलब्ध करवाये जाने वाले श्रमिकों की मांग में जिस दिन बदलाव की आवश्यकता होगी, उस दिन रात्रि 9.00 बजे तक ठेकेदार को प्रक्षेत्र प्रभारी द्वारा सूचित कर दिया जावेगा, उसी के अनुसार ठेकेदार को श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगें। सूचित नही करने पर मांग के अनुरूप ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये जा रहे उस दिन के श्रमिकों को प्रक्षेत्र प्रभारी कार्य है या नहीं फिर भी अवश्य लेना होगा।

12- श्रमिकों को कृषि प्रायोगिक एवं कृषि से संबंधित अन्य कार्य हेतु सभी श्रेणी के श्रमिक उपलब्ध करवाने बाबत इस कार्यालय द्वारा अग्रिम राशि देय नही होगी। अनुसंधान कार्य की आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए श्रमिकों की उपलब्धता देय ठेके की अवधि RTPPA 2012 एवं RTPPR 2013 में उल्लेखित प्रावधानुसार घटाई या बढाई जा सकेगी।

13- ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की उपलब्धता मांग के अनुरूप नहीं करने एवं अन्य विवाद की स्थिति में 7 दिन के नोटिस पर ठेकेदार का अनुबंध निरस्त किया जा सकता है तथा ऐसी स्थिति में उसकी समस्त अमानत राशि जब्त करने व अन्य सफल निविदाओं में से जिसकी दर न्यूनतम एवं उचित होगी, उसे ठेका देने का अधिकार **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** हो होगा।

14- **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** न्यूनतम दरों पर ठेकेदार द्वारा श्रमिक उपलब्ध करवाने पर भी निविदा छोडने के लिए बाध्य नही होगा।

15- न्यूनतम दर के साथ निविदा की दरों की व्यवहारिकता उसके पूर्व में किये गये कार्यों का अनुभव और उसके पंजीयन की प्रमाणिकता आदि को भी ध्यान में रखा जावेगा।

16- दो या दो से अधिक निविदादाताओं के द्वारा दी गई कार्य दरों में अगर समानता होती है तो सभी कार्यों के लिए प्राप्त दरों के योग में न्यूनत प्राप्त दरों पर निर्णय लिया जायेगा तथा **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** द्वारा किया गया निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

17- निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति को कार्यालय समय में संस्थान में उपस्थित रहना आवश्यक होगा। संस्थान में प्रतिदिन चाहने वाले श्रमिक संस्थान के सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा फार्म पर उपलब्ध रजिस्टर में दर्ज कार्य अनुसार निविदादाता या उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति श्रमिक उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होंगें व रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर व दिनांक अंकित करने होंगें।

18- ठेकेदार अनुसंधान कार्य की महत्वता एवं गुणवत्ता अनुसार श्रमिक उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो संस्थान अपने स्तर पर श्रमिकों की व्यवस्था करवायेगा। यदि निविदादाता द्वारा समय पर श्रमिक उपलब्ध नही कराये गये तो कार्य की आवश्यकता को देखते हुए सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उस कार्य को अपने स्तर पर ठेकेदार की दर से दो गुणा तक श्रमिक लगा कर पूर्ण करा लेंगें जिसका भुगतान निविदादाता द्वारा जमा अमानत राशि में से किया जायेगा तथा उतनी ही राशि संस्थान उसकी अमानत राशि में से पैनेल्टी के रूप में काटेगा। समय पर कार्य सम्पादन न कराने, श्रमिक उपलब्ध न कराने व निविदा शर्तों को न मानने पर निविदादाता को भविष्य के लिए ब्लेक लिस्टेड कर दिया जायेगा।

19- निविदादाता को यथासंभव पूर्व में ही कार्य हेतु दिन व समय बता दिया जायेगा, फिर भी दिन व समय प्रकृति पर निर्भर करेगा जिसके लिए निविदादाता को तुरंत श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा समय पर कार्य नही किये जाने की स्थिति में जो भी हानि होगी वह निविदादाता को वहन करनी होगी। इस भुगतान की राशि पुनः सात दिनों के अन्दर जमा करानी होगी। इस प्रकार की प्रवृत्ति की यदि तीन बार पुनरावृत्ति होती है तो **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर** को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा एवं निविदादाता की बोली प्रतिभूति एवं अमानत राशि भी जब्त कर ली जायेगी।

20- निविदा फार्म में दर्शाये गये कार्यों का विभाजन नहीं किये जाने के उद्देश्य से अलग अलग कार्यों के लिए निविदादाता द्वारा जो दर प्रस्तुत की जावेगी उनके न्यूनतम दर का आकलन उस निविदा के समस्त सम्बन्धित कार्यों हेतु दी गई दर के औसत के आधार पर किया जायेगा।

21- मैनेजर श्रमिकों से फार्म का कोई भी कार्य करा सकते हैं।

22- अन्य शर्ते एवं नियम RTPPA, 2012, RTPPR, 2013 एवं सामान्य वितीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होंगे।

23- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

24- राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीकां अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

25- यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए संबंधित उपापन संस्था द्वारा बिड संबंधी कार्रवाही की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेगी उन्हें उनकी सेवाओं की विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

26- संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जावेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

27- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

28- श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

29- संवेदक को राज्य / केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पृष्टि में संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

30- संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर डिस्प्ले बोर्डस लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु हेल्पलाईन नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने संबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

31- राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

32- संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

33- श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उप नियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा–निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों /दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

34- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक श्की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

35- नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

36- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबन्ध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुवाआजा देने / ई.एस आई करवाने /सामूहिक दुर्घटना बीमा करवाने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

37- यदि संवेदन द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनत्तम मजदूरी का भुगतान नही किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबन्ध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी एवं नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डिबार कराने की कार्यवाही करेगी।

38- यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति में मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नही करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के उपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले संबन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व संबन्धित संवेदक का होगा।

39- उपापन संस्था संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को संबन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

40- श्रमिक की कृषि कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे सांप का काटना, बिजली या कृषि औजार, ट्रेक्टर आदि से दुर्घटना हो जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी इस केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

महाविद्यालय कार्यालय एवं छात्रावासों में सफाई एवं झाडू कार्य हेतु नियम एवं शर्तें

41- साफ सफाई कार्य में काम आने वाले सभी साज व सामान जैसे फिनायल, रोमोकोल, फिनायल गोली, वाशिंग पाउडर, कोलीन, झाड़ू, पोंछा, डस्टर, साबुन, ब्रुश, एसिड, ओडोनील, नाली सफाई के औजार, दस्ताने, मास्क इत्यादि प्रयोग में आने वाली समस्त सामग्री की व्यवस्था महाविधालय द्वारा ही किया जायेगा।

42- कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर का क्षेत्राधिकार के सम्पूर्ण भवन परिसर एवं छात्र व छात्रावास सहित महाविधालय व छात्रावासों के सामने की सड़क की प्रतिदिन सफाई करनी होगी तथा प्रतिदिन सभी कमरों व गैलेरी में पोछा लगाना होगा। महाविधालय व छात्रावासों के भवन की छत एवं भवन परिसर के चारों तरफ बाहर की तरफ दस फीट की परिधि तक की साफ सफाई समय समय पर करनी होगी।

43- महाविधालय के सामने का भाग, सम्पर्ण भवन परिसर की गैलरी, कक्षा–कक्ष एवं शौचालय, बाथरूम आदि प्रसाधनों की साफ–सफाई प्रातः 09.45 बजे या कक्षाएं शुरू होने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रतिदिन करनी होगी। समयानुसार कार्य नहीं होने पर भुगतान रोका जा सकेगा।

44- महाविधालय एवं छात्रावासों के सभी दरवाजे, खिडकी, रोशनदान, दीवारों, पंखों, अलमारियों आदि की डस्टिंग करनी होगी व महाविधालय व छात्रावासों के सम्पूर्ण भवन में छत के अन्दर की तरफ के जाले समय–समय हटाने होंगे।

45- महाविधालय एवं छात्र, छात्रा, छात्रावास भवन परिसर की सफाई व्यवस्था हेतु 6–सफाईकर्मी लगाने होंगे ताकि सफाई निश्चित समय पर तथा समय पर पूर्ण हो सके। दो सफाईकर्मी सदैव कार्यालय समय (प्रातः 10:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक) में उपलब्ध रहेगे। उक्त सफाईकर्मी महाविधालय परिसर एवं छात्रावासों में जहां भी गंदगी दिखे यहां सफाई करेंगे। महाविधालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यालय/छात्रावासों में सफाई कार्य करवाया जा सकेगा, साथ ही सफाई कर्मियों के नाम व मोबाईल नम्बर निविदा में संलग्न निर्धारित प्रारूप में देने आवाश्यक है।

46- महाविधालय के छात्रा छात्रावास में साफ सफाई का कार्य महिला सफाईकर्मी द्वारा ही किया जायेगा एवं छात्र छात्रावास में साफ सफाई का कार्य पुरूष सफाईकर्मी द्वारा ही किया जायेगा।

47- सफाईकर्मियों द्वारा कचरे को नियमानुसार निस्तारण हेतू निर्धारित गन्तव्य स्थान तक ले जाकर ही निस्तारित करना होगा एवं इसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

48- सभी कूड़ेदानों का कचरा प्रतिदिन एकत्र कर निर्धारित स्थान पर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जाएगा।

49- शौचालयों की सफाई एवं कीटाणुशोधन प्रतिदिन कम से कम दो बार किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सफाई भी करनी होगी।

50- सफाई कार्य के दौरान फर्श की धुलाई, धूल साफ करना, खिड़कियाँ, दरवाजे, रेलिंग, फर्नीचर एवं अन्य सतहों की नियमित सफाई सुनिश्चित करनी होगी।

51- छात्रावास परिसर में कमरों के बाहर के सामान्य क्षेत्र, गलियारे, सीढ़ियाँ, स्नानघर, शौचालय तथा परिसर की प्रतिदिन सफाई की जाएगी।

52- कार्य के दौरान किसी भी महाविद्यालय की संपत्ति को क्षति पहुँचने पर उसकी भरपाई संबंधित ठेकेदार द्वारा की जाएगी।

53- सभी सफाई कर्मियों का आचरण शिष्ट एवं अनुशासित होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी द्वारा अभद्र व्यवहार, नशे की अवस्था में कार्य करना या अनुशासनहीनता पाए जाने पर उसे तत्काल कार्य से हटाया जा सकता है।

54- कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों एवं संस्थान के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

55- सफाई कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण महाविद्यालय द्वारा नामित अधिकारी/समिति द्वारा समय–समय पर किया जाएगा।

56- कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को सुधार हेतु निर्देश दिए जाएंगे तथा बार–बार लापरवाही होने पर नियमानुसार आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

57- किसी भी कर्मचारी की अनुपस्थिति की स्थिति में उसके स्थान पर समान योग्यता वाला वैकल्पिक कर्मचारी उपलब्ध कराना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।

58- राष्ट्रीय अवकाश, विशेष कार्यक्रम, परीक्षा, समारोह अथवा अन्य संस्थागत आयोजनों के दौरान आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सफाई व्यवस्था करनी होगी।

59- भुगतान केवल कार्य की संतोषजनक गुणवत्ता तथा सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणन के उपरांत अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

60- महाविद्यालय प्रशासन को आवश्यकता पड़ने पर कार्य के दायरे में युक्तिसंगत परिवर्तन करने अथवा अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

61- सफाई कर्मचारी किसी भी संक्रामक रोग से ग्रसित नहीं होनाा चाहिए एवं स्वस्थ हो तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी मांगा जा सकता है।

दिनांक.................................

निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर मय

स्थान...................................

स्पष्ट नाम मय फर्म की रबड मोहर

i. ई–निविदा का खोला जाना

दिनांक 12.08.2026 को प्रातः 11.30 बजे तक uploaded निविदा प्रपत्रों को दिनांक 12.08.2026 को दोपहर 2.00 बजे निविदा समिति द्वारा एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

ii. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को **(Performance Security)** जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे–आर्डर **"Dean, College of Agriculture, Fatehpur-Shekhawati"** के नाम भुगतान योग्य हो, जमा करानी होगी। यह राशि टेण्डर के आदेश होने के 07 दिवस के अन्दर जमा करवानी होगी। एमएसएमई (MSME) इकाइयों के लिए 1% तथा एसएसआई (SSI) इकाइयों के लिए 0-5% ईएमडी (EMD) देय होगी। निविदा सुरक्षा (Bid Security/EMD) एवं निविदा शुल्क (Bid Fee) में 100% छूट का प्रावधान लागू नहीं होगा। पूर्व में बोली प्रतिभूति **(Bid Security)** के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेष में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंषतः जब्त की जा सकेगी।

iii. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए श्रमिक सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। **सफल निविदादाता को जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारू रूप से हो सके।**

iv. ई–निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार **अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी** को होगें। यह अनिवार्य नही की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार **ई–निविदा** प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नही होगा। पर्याप्त बिड् सिक्यूरिटी, RSIL शुल्क, निविदा शुल्क के अपलोड एवं भौतिक रूप से प्राप्त करने के अभाव में **ई–निविदा** फार्म रद्द कर दिए जाएगें। **ई–निविदा** में प्राप्त दरें बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार केन्द्र को होगें जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होगें।

v. अनुमानित राशि का आंकलन

प्रपत्र "र" में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि रूपये 20.00 लाख प्रतिवर्ष है। संस्थान द्वारा आयकर स्त्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा।

vi. दर संविदा अनुबंध की अवधि दर संविदा की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढाई जा सकती है।

vii. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि रू0 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध पत्र सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनो पक्षो को उक्त अनुबंध पत्र की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लघंन करता है तो अनुबंध पत्र किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्त्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् चाही गई मैनपावर में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढाई/घटाई जा सकती है।

viii. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित इकाई प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक बिल अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी कार्यालय पर प्रस्तुत करने होगें जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। **उक्त सेवाओं के बदले केन्द्र द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता (सेवा प्रदाता) को RTGS/NEFT/ चैक द्वारा किया जाएगा तथा श्रमिकों के ईपीएफ एवं ईएसआई के जमा राशि के इलेक्ट्रोनिक चालान कम रिटर्न बिलों के साथ संलग्न करनें होंगे।**

ix. भुगतान की जिम्मेदारी

निविदादाता (सेवा प्रदात्ता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर केन्द्र भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। वर्णित कार्यो के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

x. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

xi. कार्यादेश का निरस्तीकरण

अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, फतेहपुर–शेखावाटी को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होगें लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

xii. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती है।

भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती संस्थान द्वारा की जाएगी।

xiii. ई–निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग–II के नियम 68 ई–निविदा के लिए ई–निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

xiv. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पांदन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

xv. **वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार** – बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा और यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

xvi. **सत्यनिष्ठा संहिता** – उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, –

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

xvii. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :–

(क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृतिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जंहा उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

xviii. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी माननीय कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर (जयपुर) एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी प्रमुख शासन सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर अथवा विश्वविद्यालय या राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित प्राधिकारी होगे।

1.अपीलः–

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देषों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिष्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'य')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पष्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दषा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता

के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेष पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेष के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकरी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेष की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पष्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्षक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेष पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्षित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रात्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवष्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

2. अपील का प्ररूप –

(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्ररूप **(प्रपत्र –'य')** में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

3. **अपील फाइल करने के लिए फीस –**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

4. अपील के निपटारे की प्रक्रिया –

(1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा।

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

XIX. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

अधिष्ठाता

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

प्रपत्र –'ब'

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .... का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू.लाखों में)
1	2023–24	
2	2024–25	
3	2025–26	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक :

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का

नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

पत्र –'स'

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्तित सेवा इकाईयों के संतोषप्रद कार्य नहीं करने/होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमारा किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

नाम :–

पताः–

मो0 न0ः–

प्रपत्र "द"

FORM NO. 1 : (See rule 83 of RTPP)

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurensent Act, 2012

Appeal No........................ of ....

Before the .... (First/Second Appeliate Authority)

1. Particulars of appealant :
   - (i) Name of the appeliant
   - (ii) Official Address, if any
   - (iii) Residential address
2. Name and address of the respondent (s) :
   - (i)
   - (ii)
   - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (endorse copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravaction to the provisions of the Act by which the appeliant is aggrieved.
4. If the Appeliant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative.
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal.
6. Ground of appeal

   ....

   ....

   ....(Supported by an affidavit)
7. Prayer

   ....

   ....

Place ....

Date ....

....

Appellant's Signature

प्रपत्र 'य'

(Shall be submitted on letter head of firm)

(On Non-Judicial Stamp Paper of 100/-

Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my /our bid submitted to the **Dean, College of Agriculture, Fatehpur-Shekhawati, Sikar** for procurements of .... (Name of items) ....in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated.............. I/We hereby declares under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding document issued by the Procuring Entity;
2. I/We undertake/declare that the quoted item model is of latest technology, the item has not become outdated, that the rate quoted is not more than the rate charged from anyone else, that the bidder is not black listed or banned or debarred by central or any state government or its append gages, availability of spare parts and consumables for the quoted equipment for at least 5 years/life of the item, or whichever is earlier, from the date of installation for each item quoted in the bid.
3. Bid should not be submitted for the quoted item(s) for which the bidder has been blacklisted/banned/debarred either by bid inviting authority or Govt. of Rajasthan or by any other state/central Govt. and its agencies. This also applies to the bidder for its sister/ allied firm(s)/ unit(s);
4. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in bidding document;
5. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my /our business activities suspended and not the subjected of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
6. I/We do not have ,and our directors and officers not have ,been convicted of any criminal offence related to my /our professional conduct or the making of false statement or misrepresentations as to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
7. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Place:

Signature of bidder

Name:

Designation: Address:

Appendix-A

Declaration by the Bidder regarding Qualification

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bid No. .... Dated....................

I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;
3. I/We are not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Signature of Bidder

Place:

Designation:

Name:

Appendix-B

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest: -

Any person participating in a procurement process shall –

a. Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

b. Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

c. Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

d. Not misuse any Information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

e. Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

f. Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

g. Disclose conflict of interest, if any; and

h. Disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Grievance Redressal during Procurement Process: **Appendix-C**

(i) The Designation and address of the First Appellate Authority is Hon'ble Vice Chancellor, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Jaipur, Rajasthan 303329 or as decided by university authorities or GOR.

(ii) The Designation and address of the Second Appellate Authority is, Principal Secretary/ACS, Department of agriculture, GOR or as decided by University Authorities or GOR.

(1) Filling an appeal:

a. If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

b. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

c. If the First Appellate Authority fails to dispose of the appeal within the period 30 days of the date of filing the appeal or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet, within fifteen days. The Second Appellate Authority, after hearing the parties, shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days which shall be final and binding on the parties. If the Second Appellate Authority is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reason for the same.

(2) Appeal not to lie in certain cases:

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the bidding process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

Grievance Redressal during Procurement Process: **Appendix-C**

(i) The Designation and address of the First Appellate Authority is Hon'ble Vice Chancellor, Sri Karan Narendra Agriculture University, Jobner, Jaipur, Rajasthan 303329 or as decided by university authorities or GOR.

(ii) The Designation and address of the Second Appellate Authority is, Principal Secretary/ACS, Department of agriculture, GOR or as decided by University Authorities or GOR.

(1) Filling an appeal:

a. If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

   Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

b. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

c. If the First Appellate Authority fails to dispose of the appeal within the period 30 days of the date of filing the appeal or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to the Second Appellate Authority as specified in the Bid Data Sheet, within fifteen days. The Second Appellate Authority, after hearing the parties, shall dispose of the appeal and pass an order within a period of 30 days which shall be final and binding on the parties. If the Second Appellate Authority is unable to dispose of the appeal within the aforesaid period, he shall record reason for the same.

(2) Appeal not to lie in certain cases:

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely: -

(a) determination of need of procurement;

(b) provisions limiting participation of Bidders in the bidding process;

(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;

(d) cancellation of a procurement process;

(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(3) Form and procedure of filing an appeal

(a) An appeal shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(4) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(5) Procedure for disposal of appeals

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall be placed on the State Public Procurement Portal.

Dated:

Place:

Sign of the bidder with seal

With full address and phone or mobile No

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्णनरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर)
फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर–332301,राजस्थान

प्रपत्र–"र"

बोली दाता–संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण का विवरण

कसं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक कमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्णनरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर)
फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर–332301,राजस्थान

प्रपत्र "ल"

वित्तीय ई–निविदा

BOQ Format

भाग–प्रथम (कार्य आधारित)

क्र. सं.	कृषि कार्य	संस्थान द्वारा आधार मानक दर (रूपये)	सेवाप्रदाता द्वारा ऐजेंसी/फर्म दी जाने वाली दर **quote here**
1	प्रयोगो में रेखांकन (ले–आउट)	5,300/– प्रति हेक्टर	
2	प्रयोगों की बुवाई	3,785/– प्रति हेक्टर	
3	प्रयोगों /फार्म की रखवाली (प्रति व्यक्ति दिन/रात)	7,410/–प्रतिमाह	
4	प्रयोगों /फसलों के लिए खेतो की साफ सफाई (सूड) करवाना	2,500/– प्रति हेक्टर	
5	निराई–गुडाई सभी फसलों में	14,000/– प्रति हेक्टर	
6	उर्वरकों एवं रसायनों (कीटनाशी, खरपतवारनाशी, फफून्दनाशी आदि) का फसलों पर छिडकाव/भुरकाव	1,500/– प्रति हेक्टर	
7	सिचाई प्रति हैक्टेयर सभी फसलों में स्प्रींकलर द्वारा (दिन–रात) फसल सिचाई – 4 घन्टे/लाईन	1,500/– प्रति हेक्टर	
8	रोगिंग सभी फसलों में	3,500/– प्रति हेक्टर	
9	बीज को गोदाम से (यदि टंकियों में है तो उनके कट्टे भरना) ग्रेडिंग प्लान्ट तक पहुँचाकर ग्रेडिंग करना। ग्रेडिंग कार्य सम्पादित कर ग्रेडेड बीज की आवश्यकतानुसार पैंकिंग (5,10, 20 व 40 किलो) बैंगिंग,लेवलिंग, सिलाई तथा तुलाई कर पुनः गोदाम तक पहुचाना।	130/– प्रति क्विंटल	
10	फसल कटाई, बंधाई, एकत्रित करना एवं खलिहान तक पहुँचाना (अ) मूंग, चंवला, मोठ, मैथी, चना, तारामीरा, सरसों, (ब) गेहू, जौ, ग्वार, बाजरा (स) मूंगफली व ढेंचा बीज उत्पादन (द) मूंगफली के प्रयोगों की हाथ द्वारा खुदाई, तुडवाई एवं स्टोर में रखना	16,000/– प्रति हेक्टर 16,000/– प्रति हेक्टर 20,000/– प्रति	
11	फसलों की थ्रेसिंग एवं विनोइंग, बोरी भरना, गोदाम तक पहुचाकर कर तुलाई करवाना एवं स्टोर में बोरियों की धांग (थप्पी) लगाना आदि कार्य (सभी फसलों में)	4,500/– प्रति हेक्टर	
12.	मुर्गी पालन में देखभाल, दाना–पानी इत्यादि हेतु।	11,000/– प्रति	
13.	फार्म ऑफिस व फार्म गोदामों व अन्य कार्यालय में साफ–सफाई	40 /–प्रति घण्टे प्रति व्यक्ति	

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कृषि महाविद्यालय

(श्री कर्णनरेन्द्र कृषि विष्वविद्यालय, जोबनेर)

फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर–332301,राजस्थान

भाग–द्वितीय (श्रमिक आधारित)

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन श्रेणी	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (रू.) (प्रति माह प्रति श्रमिक)	सेवासेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	ईपीएफ दर (13%)	ईएसआई दर (3.25%)	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि (रू.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	**श्रमिक आपूर्ति**	**1. अकुशल**	7410.00					
		2. अर्द्ध कुशल	7722.00					
		3. कुशल	8034.00					
		4. उच्च कुशल	9334.00					

भाग–तृतीय (सफाई एवं झाडू कार्य हेतु श्रमिक)

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	आवृत्ति	संयुक्त दर प्रतिमाह मय सेवा शुल्क, ईपीएफ, ईएसआई	
			अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5
	कृषि महाविधालय, फतेहपुर–शेखावाटी, सीकर का क्षेत्राधिकार के सम्पूर्ण भवन परिसर एवं छात्र व छात्रावास सहित महाविधालय व छात्रावासों के सामने की सड़क की प्रतिदिन सफाई करनी होगी तथा प्रतिदिन सभी कमरों व गैलेरी में पोछा लगाना होगा। महाविधालय व छात्रावासों के भवन की छत एवं भवन परिसर के चारों तरफ बाहर की तरफ दस फीट की परिधि तक की साफ सफाई समय समय पर करनी होगी।	सफाई एवं झाडू कार्य विशिष्ट शर्तों में उल्लेखानुसार		

'ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की दर मानव संसाधन की अनुमानित संख्या पर प्रत्येक पर समान रूप से लागू होगी।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर